पंडितदीनदयालउपाध्याय शेखावाटीविश्वविद्यालय, सीकर(राज)

(सीकर–झुंझुनूस्टेट हाईवे, कटराथल, सीकर–332024)
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.comदूरभाषनं.: 01572-232411

क्रमांकः प.118( )लेखा/ई–निविदा/2020–2021/18305 दिनांक 2/03/2021

ई–निविदा सूचना

विश्वविद्यालय के लिये निम्नानुसार सेवा की आपूर्ति हेतु पंजीकृत फर्मों/सर्विस प्रोवाईडरों से ई–टेण्डरिंग के माध्यम से दर संविदा हेतु ई–निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैः–

निविदा संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा शुल्क	प्रोसेशिंग फीस	धरोहर राशि (रु में)	निविदा अपलोड करने का अन्तिम दिनांक एवं समय	निविदा की मूल डी.डी. आदि जमा कराने का दिनांक व समय	तकनीकी बिड खोलने का दिनांक एवं समय
2/2020–21	विश्वविद्यालय में सुरक्षा प्रहरियों की प्रदायगी हेतु दर संविदा	40.00	1000/–	500/–	80000/–	15.03.2021 2.00 PM	15.03.2021 3.00 PM	16.03.2021 3.00 PM
3/2020–21	विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों एवं परिसर की साफ–सफाई कार्य हेतु श्रम आपूर्ति दर संविदा	15.00	1000/–	500/–	30,000/–	15.03.2021 2.00 PM	15.03.2021 3.00 PM	16.03.2021 3.00 PM
4/2020–21	श्रम आधारित कार्य हेतु श्रम आपूर्ति दर संविदा	15.00	1000/–	500/–	30,000/–	15.03.2021 2.00 PM	15.03.2021 3.00 PM	16.03.2021 3.00 PM

निविदा शुल्क की राशि यथा रु 1000/– एवं निर्धारित धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट्स कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के नाम (सीकर में देय) तथा ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क राशि रूपए 500/– का डिमांड ड्राफ्ट एमडी आरआइएसएल, जयपुर (जयपुर में देय) के नाम से कुलसचिव कार्यालय को नियत समय तक प्राप्त हो जायेंगे उन्हीं तकनीकी रूप से सफल पाये जाने वाले निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जावेंगी, जो बाद में सूचित की जावेंगी। निविदाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी दिनांक 03.03.2021 सायं 2:00 बजे से ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट www.shekhauni.ac.in तथा स्टेट प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगी।

कुलसचिव
Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

ई–निविदा भरने हेतु निविदादाता के लिये निर्देश

(1.) निविदा के साथ धरोहर राशि, 1000 रू. निविदा शुल्क व 500 रू. (MD RISL JAIPUR को देय) के डी.डी. भौतिक रूप से विश्वविद्यालय में निर्धारित समय तक मूल रूप से प्रस्तुत करने होंगे।

(2.) एस.एस.आई. से पंजीकृत फर्मो को धरोहर राशि 1/2 प्रतिशत एवं प्रतिभूति राशि 1 प्रतिशत नियमानुसार जमा करानी होगी। यह छूट तभी देय हागी जब निर्देशक, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के तत्संबंधी कार्य के पंजीकरण आदि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।किसी भी प्रकार का विवाद होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की स्थिति में सीकर स्थित सक्षम न्यायालय में ही प्रारम्भ करनी होगी, अन्य न्यायालय पर नहीं। समस्त विधि वाद की जिम्मेदारी संबंधित निविदादाता की होगी। इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules,2013 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

(3.) निविदा ई–प्रोक्योरमेंट साइट से डाउनलोड करके, हस्ताक्षर करके मय आवश्यक प्रपत्रों के स्कैन कॉपी स्कैन करके ई–प्रोक्योरमेंट साइट पर उपलब्ध करवानी होगी व वितिय बिड इसी साइट उपलब्ध वितिय बिड शीट में ऑनलाइन अंकित करनी होगी। वित्तीय बिड को स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाना है । भौतिक रूप से निविदा स्वीकार्य नहीं होगी । विश्वविद्यालय की वेबसाइट व sppp पोर्टल पर भी निविदा अपलोड नहीं की जा सकेगी । उक्त दोनों वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र मात्र अवलोकनार्थ डाले गये है ।

(4.) इन निविदाओं में भाग लेने के इच्छूक निविदादाता निविदा–प्रपत्रों को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउन लोड कर सकते है।

(5.) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट–2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सी.सी. ए. द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, नया लेने की आवश्यकता नहीं है।

(6.) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट में उपरोक्त वेब साईट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत कराना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

(7.) इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गई है।

(8.) कोई भी टेण्डर इलैक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।

1. निविदादाता का नाम (फर्म) का पूरा पता :.....
2. फर्म एकल/भागीदारी (दस्तावेजों की सत्यप्रति संलग्न करें):.....
3. भागीदारों के नाम..... 4.बैंक जिसके माध्यम से लेनदेन करते है.....
5. नाम जो लेनदेन करेगा मय अधिकार पत्र की प्रति:.....

पंडितदीनदयालउपाध्याय शेखावाटीविश्वविद्यालय, सीकर(राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.comदूरभाषनं.: 01572-232411

क्रमांक: प.118( )लेखा/ई–निविदा/2020–2021/18306 दिनांक: 02/03/2021

ई– निविदा संख्या 02/2020–2021 हेतु प्रपत्र

(सुरक्षा प्रहरी की प्रदायगी सेवाओं हेतु)

विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों एवं परिसर की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्रहरी की प्रदायगी कार्य ठेके पर दिये जाने हेतु निविदा।

विषय : ई–निविदा सूचना संख्या 02/2020–21 दिनांक.....

निविदा प्रपत्र डाऊनलोड कर ऑन लाईन प्रस्तुत करने की प्रारम्भ दिनांक व समय : दिनाँक 03.03.2021 (2.00 PM)

ऑन लाईन तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय : 15.03.2021 (2.00PM) बजे तक

निविदा संबंधी मूल डी.डी. प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व समय : दिनाँक 15.03.2021 (3.00 **PM**) बजे तक

तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक व समय : दिनाँक 16.03.2021 (3.00PM)

निविदा जारी करने हेतु फर्म का नाम :– .....

अनुमानित लागत : 40,00000 (चालीस लाख रूपये मात्र)

अमानत राशि : 80000 (अस्सी हजार रूपये मात्र)

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)
(सीकर–झुंझुनू स्टेट हाईवे, कटराथल, सीकर–332024)
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक: प.118( )लेखा/ई–निविदा/2020–2021/ दिनांक

निविदा प्रपत्र

(तकनीकी बिड)

विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों एवं परिसर की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्रहरी की प्रदायगी कार्य ठेके पर दिये जाने हेतु निविदा।

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम, डाक का पता व टेलीफोन/मोबाईल नम्बर

.....

.....

2. किसको सम्बोधित किया –कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर।

3. सन्दर्भ : आपकी ई–निविदा सूचना क्रमांक 2/2020–21 दिनांक 02.03.2021

4. हम कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना दिनांक 02.03.2021 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई–निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

5. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :–

क.स.	विवरण	रजि0 सं0	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इन्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत				

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

	या इन्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत				

6. पंजीकृत प्लेसमेंट एजेन्सी को कम से कम तीन वर्षों का राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सरकारी प्रतिष्ठानों/निगमों/कॉर्पोरेशन/स्वायत्तशाषी निकायों/राजकीय विश्वविद्यालयों /शिक्षा बोर्ड एवं समकक्ष शैक्षणिक व प्रशासनिक संस्थाओं में सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध कराने का अनुभव (प्रमाण–पत्र संलग्न करे)।
7. ठेकेदार को केन्द्रीय सरकार के कार्यालय/ राज्य सरकार के कार्यालय/पीएसयू/ विश्वविद्यालय भवनों में सफाई कार्य व्यवस्था का गत तीन वर्षों में कम से कम किसी एक वर्ष में रूपये 20 लाख की लागत का एकल कार्य करने का का अनुभव होना चाहिए। संबधित विभाग/संस्था से प्रमाणित अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
8. एजेन्सी अपने संविधान की प्रति जिसमें एजेन्सी के मूलभूत उद्देश्य/लक्ष्य अंकित हो निविदा के साथ संलग्न करें। (यदि हो तो संलग्न करें)
9. फर्म का टर्न ओवर 40 लाख रूपये पिछले तीन वर्षो का औसत तथा तीन वर्ष की सनदी लेखाकार की अंकेक्षण रिपोर्ट जिसमें फर्म की वित्तीय स्थिति के (प्रपत्र संलग्न हो)।
10. ब्लैक लिस्ट नहीं होने का शपथ –पत्र (100 रूपये के नॉनजूडिशियल स्टाम्प पर)
11. कार्य करने हेतु कुशलता के स्तर के अनुसार अनुभवी कार्मिक उपलब्ध कराने का शपथ पत्र 100/– नॉनजूडिशियल स्टाम्प पर (ANNEXURE- B)
12. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या .....दिनांक..... .....(जारी कर्ता बैंक का नाम) रूपये 80000/–.के लिए **अमानत राशि** के पेटे संलग्न है। जो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को देय हो।
13. बैंक ड्राफ्ट सं0 .....दिनांक .....राशि 1000/– ....(जारी कर्ता बैंक का नाम) जो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को देय हो (**निविदा शुल्क** के पेटे संलग्न है।)
14. बैंक ड्राफ्ट सं0 .....दिनांक .....राशि 500/–..... ..... (जारी कर्ता बैंक का नाम) जो MD RISL, Jaipur को देय हो वास्ते (**प्रोसेसिंग फीस** के पेटे संलग्न है।)

निविदादाता के हस्ताक्षर

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

पंडितदीनदयालउपाध्याय शेखावाटीविश्वविद्यालय, सीकर(राज)

(सीकर–झुंझुनूस्टेट हाईवे, कटराथल, सीकर–332024)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.comदूरभाषनं.: 01572-232411

क्रमांकः प.118( )लेखा/ई–निविदा/2020–2021/ दिनांक

सुरक्षा प्रहरी की प्रदायगी हेतु निविदा प्रपत्र-वित्तीय बिड

ई–निविदा कमांक– 02/2020–2021

1. निविदादाता/फर्म का नाम : .....

2. निविदादाता का पता : .....

.....

.....

.....

3. मोबाईल /दूरभाष न. : .....

4. सेवा का प्रकार :– विश्वविद्यालय में सुरक्षा प्रहरियों की प्रदायगी हेतु निविदा।
   निविदादाता द्वारा प्रति **सुरक्षा प्रहरी एवं सुपरवाइजर** प्रति माह की दर ईप्रोक्योरमेंट वेबसाईट पर ऑनलाईन उपलब्ध निविदा सूचना की वित्तीय बिड (बीओक्यू–एक्सेल शीट) में निम्न प्रकार से ही भरी जाकर निविदा अपलोड की जावे।

विश्वविद्यालय के **भवनों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्रहरी** एवं सुपरवाइजर की प्रदायगी

क सं	सेवा का प्रकार–	सुरक्षा प्रहरी को देय मासिक पारिश्रमिक (मकान किराए भत्ते सहित) जो की **REXCO**/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम ना हो	**ई.पी.एफ. दर प्रतिशत**	**ई.एस.आई. दर प्रतिशत**	**GST** की राशि	फर्म के प्रीमियम की राशि प्रतिमाह
1	**भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा प्रहरी**	REXCO/ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर	REXCO/ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर निविदा शर्तानुसार फर्म द्वारा देय है जिसका पुर्नभरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा	REXCO/ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर निविदा शर्तानुसार फर्म द्वारा देय है जिसका पुर्नभरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा	राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर निविदा शर्तानुसार फर्म द्वारा देय है जिसका पुर्नभरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा	

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

2	सुपरवाइजर दिन एवं रात्रि हेतु(जो कि जेसीओ या समकक्ष पद की योग्यता एवं अहर्ता रखते हो)	REXCO/ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर	REXCO/ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर निविदा शर्तानुसार फर्म द्वारा देय है जिसका पुर्नभरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा	REXCO/ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर निविदा शर्तानुसार फर्म द्वारा देय है जिसका पुर्नभरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा	राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर निविदा शर्तानुसार फर्म द्वारा देय है जिसका पुर्नभरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा	

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

1) निविदादाता द्वारा तकनीकी पात्रता हेतु वांछित शर्तें :

1 निविदादाता महानिदेशक पुलिस, निदेशालय नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा से जारी लाईसेन्सधारक होना चाहिए तथा तकनीकी बिड में बिड डाटा शीट, बिड डोक्युमेंट के साथ लाईसेंस की प्रमाणित प्रति संलग्न कर अपलोड करनी अनिवार्य है। तकनीकी बिड के साथ चाहे गये प्रलेख/प्रमाण पत्र साक्ष्य के रूप में अपलोड करने होगे। इनके अभाव में वित्तीय बिड नहीं खोली जायेगी। समस्त प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित होने चाहिए तथा बिड के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों पर क्रमांक/पेज संख्या अंकित की जानी चाहिए। समस्त प्रमाण पत्र निविदा खोलने के दिन वैध होने चाहिए।

2 **निविदा सूचना में वर्णित** पात्रता पूरी करने वाले योग्य बोलीदाता ही तकनीकी बिड (प्रि–क्वालीफिकेशन) में सफल माने जावेंगे तथा उन्हीं की वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी बिड (प्रि–क्वालीफिकेशन) में योग्य नहीं पाये जाने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बिड नहीं खोली जावेगी **।निर्धारित समयावधि में अर्नेस्टमनी ,**निविदा शुल्क तथा ई-निविदा शुल्क **प्राप्त नहीं होने पर निविदा पूर्णतया निरस्त मानी जाकर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।**

3 निविदादाता के पास गत पांच वर्षों में से **तीन वर्षों का राजकीय विश्वविद्यालय /राजकीय बोर्ड/शिक्षा बोर्ड एवं समकक्ष शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संस्थाओं में सुरक्षा प्रहरी आपूर्ति का कार्य किया हुआ होना चाहिए जिसमें राजकीय विश्वविद्यालय में सुरक्षा प्रहरीयों की आपूर्ति कार्य होना अनिवार्य है** । निविदादाता को जॉब बेसिस पर सुरक्षा कार्य हेतु प्रति **सुरक्षा प्रहरी** एवं सुपरवाइजर प्रति 8 घंटे की पारी के लिए प्रतिमाह की दर का अंकन BOQ में पृथक–पृथक करना होगा।

4 ठेकेदार को केन्द्रीय सरकार के कार्यालय/ राज्य सरकार के कार्यालय/पीएसयू/ विश्वविद्यालय भवनों में सफाई कार्य व्यवस्था का गत तीन वर्षों में कम से कम किसी एक वर्ष में रूपये 20 लाख की लागत का एकल कार्य करने का का अनुभव होना चाहिए। संबधित विभाग/संस्था से प्रमाणित अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

5 निविदादाता का गत तीन वर्षों का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 40 लाख रुपये प्रति वर्ष होना चाहिए ।

6 निविदादाता को कार्य आवंटन होने पर सीकर में स्थानीय कार्यालय स्थापित कर साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

7 विशेष परिस्थितियों में जब पूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं हो पा रहें हैं तो राज्य सरकार द्वारा देय दरों पर होमगार्ड कुलसचिव से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लगाये जा सकते हैं।

2) निविदा की कार्यावधि

वर्तमान में सुरक्षा प्रहरी प्रदायगी की अवधि **एक वर्ष** के लिए है । निविदादाता की सेवाएँ संतोषप्रद होने पर परस्पर सहमति से छः माह अथवा नवीन निविदा अनुमोदित होने (दोनों में जो भी पहले हो) तक के लिये करार की अवधि बढाई जा सकती है ।

3) निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले सुरक्षा प्रहरियों की शर्तें एवं कार्य का विवरण :

1. वर्तमान में 20 सुरक्षा प्रहरी की आवश्यकता है जिसे किसी भी समय घटाया या बढ़ाया जा सकता है । विश्वविद्यालय में सुरक्षा प्रहरियों की व्यवस्था आदि की देखरेख के लिए कुलसचिव के निर्देशानुसार सुरक्षा प्रभारी जिम्मेवार होंगे। वर्तमान में मुख्य कुलानुशासक सुरक्षा प्रभारी हैं।

2. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा प्रहरी अपेक्षाकृत युवा (**उम्र** REXCO/ राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार) , **शारीरिक** एवं **मानसिक रूप से स्वस्थ, दक्ष** होने चाहिऐ। निविदादाता द्वारा दर अनुमोदन उपरांत उपलब्ध करवाए जा रहे सुरक्षा प्रहरियों की विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुरक्षा मापदंडों के सन्दर्भ में स्क्रीनिंग होने के पश्चात उनके द्वारा सेवाएं प्रदान करने के संबंध में अंतिम निर्णय दिया जाएगा। तदनुसार प्रत्येक सुरक्षा प्रहरी को एक परिचय पत्र जिस पर सुरक्षा प्रहरी का नाम, उम्र, पता , आधार कार्ड नंबर तथा मोबाइल नंबर आदि विवरण अंकित हो , दिया जाना अनिवार्य होगा, सभी सुरक्षा कर्मियों को चैक इन एवं चैक आउट आधार पर फेशियल पहचान/ बायोमैट्रिक उपस्थिति करवानी होगी। इसका व्यय फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। बायोमैट्रिक का व्यय फर्म द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अभाव में फर्म को भुगतान नहीं किया जाएगा।

3. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे सुरक्षा प्रहरी वार्षिक निविदा के अंतर्गत सामान ही रहेंगे परन्तु अपरिहार्य स्थिति में निविदादाता विश्वविद्यालय के मुख्य कुलानुशासक द्वारा स्वीकृति लेकर उस सुरक्षा प्रहरी को परिवर्तित कर सकेगा। किसी भी सुरक्षा प्रहरी को 3 दिवस से अधिक extra duty नहीं दी जायेगी। इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा ड्यूटी का भुगतान नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त ड्युटी में कम से कम 08 घंटा अर्थात पारी का अन्तर आवश्यक होगा।

4. जॉब कार्य हेतु उपलब्ध सुरक्षा प्रहरी को निर्धारित गणवेश, कैप, बैटरी, लाठी, परिचयपत्र, सीटी, जूते व अन्य आवश्यक सामान निविदादाता को अपने स्तर पर उपलब्ध करवाना होगा । कार्यालय द्वारा इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। प्रतिदिन निरीक्षण में जितने सुरक्षा प्रहरी बिना उपरोक्तानुसार निर्धारित ड्रेस कोड एवं यंत्र , परिचय पत्र के अभाव में कार्यरत सुरक्षा प्रहरी पर अथवा सुरक्षा प्रहरी की duty के दौरान अनुपस्थिति पाए जाने पर दो ड्यूटी चार्ज अनुसार प्रति सुरक्षा प्रहरी की शास्ति आरोपित की जायेगी।

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

5. निविदादाता को सुपरवाइजर दिन एवं रात्रि हेतु (जो की जेसीओ या समकक्ष पद की योग्यता एवं अहर्ता रखते हों) को लगाया जाना अनिवार्य होगा जो कि समस्त सुरक्षा प्रहरियों की व्यवस्था एवं नियंत्रण करते हुए सुरक्षा प्रहरियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखेगा तथा प्रतिदिन कार्य का निरीक्षण करने के उपरांत समय – समय पर विश्वविद्यालय के सुरक्षा प्रभारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए उनके निर्देशन में कार्य करेगा ।
6. प्रत्येक उपलब्ध करवाये गये सुरक्षा प्रहरी के **पास डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र** होना अनिवार्य होगा ।
7. अनुमोदित निविदादाता को उनके द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे सुरक्षा प्रहरी का नाम पता, मोबाईल/टेलीफोन नम्बर की स्व–प्रमाणित सूची कार्य शुरू करने की दिनांक को ही अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवानी होगी।
8. डयूटी पर तैनात सुरक्षा प्रहरी सुरक्षा प्रभारी द्वारा सुपरवाईजर को प्रदत डयूटी चार्ट के अनुसार Deployed रहेंगे एवं पदस्थापन/स्थान परिवर्तन/अतिरिक्त duty आवंटन कुलसचिव की स्वीकृति अनुसार सुपरवाइजर द्वारा किया जा सकेगा ।
9. विश्वविद्यालय में उपलब्ध करवाए जा रहे सुरक्षा प्रहरियों द्वारा यदि किसी प्रकार की अनियमितता, अनुशासनहीनता, दुराचार , अनैतिकता, चोरी की जाती है, साथ ही सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से व्यवस्था में कमी पाई जाती है तो उसकी संपूर्ण ज़िम्मेदारी निविदादाता की होगी, जिसकी नियमानुसार क्षतिपूर्ति/हर्जा-खर्चा भी एजेंसी(निविदादाता) द्वारा देय होगा।
10. विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर सुरक्षात्मक व्यवस्था के दृष्टिकोण से अतिरिक्त सुरक्षा प्रहरी लगाने हेतु फर्म द्वारा असहमति व्यक्त करने पर जमा प्रतिभूति राशि ज़ब्त करते हुए निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी । सुरक्षा प्रहरी द्वारा ड्यूटी के दौरान विश्वविद्यालय परिसर , समस्त जान माल की सुरक्षा , भवन, वनस्पति एवं पेड़ पौधों की सुरक्षा करने की ज़िम्मेदारी सुरक्षा प्रहरियों की होगी ।
11. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कोई भी सुरक्षा प्रहरी बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है, कार्य छोड़ता है या संपादित कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो उसे तुरन्त हटाना होगा एवं उसके स्थान पर 24 घण्टे के भीतर दूसरा सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
12. निविदादाता उपलब्ध करवाये गए सुरक्षा प्रहरी का चाल–चलन, चरित्र अच्छा होना चाहिए, इनके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
13. ड्यूटी के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में स्थित समस्त उद्यानों की देखरेख का कार्य एवं समस्त भवनों की छतों पर लगी पानी की टंकियों में पानी की आपूर्ति व टंकियों की देखरेख का कार्य निर्देशानुसार पूर्ण कर सम्बन्धित अधिकारी को सूचित करेंगे।

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

4) निविदादाता द्वारा प्रदत्त सेवा के तहत किये जाने वाले भुगतान संबंधी शर्तें :

1. निविदादाता द्वारा दी जा रही सेवाओं के बिल प्रत्येक माह की 03 तारीख तक संबंधित कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसका भुगतान कार्यालय द्वारा निविदादाता के बैंक खाते में होगा। **प्रत्येक भवन के भवन प्रभारी द्वारा सुरक्षा प्रहरी की 8 घंटे की संतोषजनक सेवा का सत्यापन एवं** सुरक्षा प्रभारी **द्वारा बिल का प्रमाणन करने के पश्चात ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी I**

2. निविदादाता द्वारा नियोजित सुरक्षा प्रहरियों को देय भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा । संबंधित निविदादाता द्वारा नियोजित सुरक्षा प्रहरियों के बैंक खातों में जमा करवायी गयी राशि का विवरण विश्वविद्यालय को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा । सुरक्षा प्रहरियों के बैंक खातों में जमा करवायी गयी राशि के विवरण बाबत विश्वविद्यालय की संतुष्टि होने पर ही निविदादाता को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा । कोई शिकायत प्राप्त होने या विवाद पर किये गये भुगतान का विवरण नाम/चैक नम्बर आदि कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
3. प्रस्तुत किए गए बिलों से वैधानिक कटौतियॉ टीडीएस व अन्य टैक्स की वसूली नियमानुसार की जावेगी।
4. जॉब कार्य हेतु अनुमोदित राशि का प्रतिमाह भुगतान निविदादाता को ही कार्यालय द्वारा किया जावेगा । जॉब कार्य में लगे **सुरक्षा प्रहरी** किसी प्रकार का भुगतान दावा कार्यालय से मांगने के अधिकारी नहीं होंगे।
5. रैक्सको/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार सुरक्षा प्रहरियों को भुगतान का दायित्व निविदादाता का हेागा ।
6. सुरक्षा प्रहरियोां को निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम दर में रैक्सको/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर विश्वविद्यालय द्वारा बढी हुई न्यूनतम दर की सीमा तक अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा ।
7. निविदादाता को रैक्सको/राज्य सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपनी समस्त सुरक्षा प्रहिरयों को नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई जमा करवाना होगा जिसमें नियोजित सुरक्षा प्रहरियों की राशि से कटौती एवं निविदादाता का अंशदान शामिल होगा । निविदादाता अपने आगामी के बिल के साथ गत माह के पेटे सुरक्षा प्रहरियों के ईपीएफ और ईएसआई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा करवाये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही निविदादाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा ।
8. निविदादाता द्वारा सुरक्षा प्रहरियों को देय राशि पर जीएसटी की राशि अतिरिक्त रूप से नियमानुसार देय हेागी । सभी प्रकार करों को जमा करवाने की जिम्मदारी निविदादाता की ही होगी । निविदादाता द्वारा गत माह में जमा करवाये गये जीएसटी के चालान की प्रति आगामी के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायगी । जीएसटी की राशि जमा करवाये जाने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल **तथा** जीएसटी का भुगतान नहीं किया जायेगा । उक्त स्थिति में जीएसटी के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा ।

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

5) निविदादाता के दायित्व :

1. रैक्सकों/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियम, उपनियम, अधिसूचना एवं दिशा–निर्देश की पालना करने का दायित्व निविदादाता का होगा जिनकी पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामो/दायित्वो के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा ।
2. यदि निविदादाता एवं कार्य पर लगाये गये सुरक्षा प्रहरियों के मध्य केाई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी निविदादाता की होगी ।
3. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति मुआवजा देने/ईएसआई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविददाता को होगा इसके लिये विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
4. समस्त कानूनी दायित्व सेवा उपलब्ध करवाने वाली **निविदादाता** ऐजेन्सी की होंगे विभाग का इस बाबत् कोई दायित्व नहीं होगा।
5. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म द्वारा प्रीमियम की ही दर दी जानी चाहिए । निविदादाता द्वारा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा प्रहरी को देय मासिक परिश्रमिक (मकान किराया भत्ता सहित) पर प्रतिशत में प्रीमियम दर देनी होगी। उक्त प्रीमियम दर एक प्रतिशत से कम स्वीकार्य नहीं होगी। समान दर प्राप्त होने की स्थिति में अनुभव एवं अन्य कारको आदि के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।
6. निविदादाता द्वारा कार्यस्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेगें जिन पर निविदादाता का नाम, संविदा अवधि, कार्य प्रगति, सुरक्षा प्रहरियों हेतु हेल्प लाइन नं0 एव निविदादाता द्वारा न्यूनतम दर अनुसार भुगतान नही करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा ।
7. राज्य में लागू सुरक्षा प्रहरयो के नियमों के अंतर्गत अपने समस्त सुरक्षा प्रहरियों का ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई राशि जमा करवाने का दायित्व निविदादाता का हेागा ।

6) विश्वविद्यालय के अधिकार :

1. यदि निविदादाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित दर अनुसार भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत विश्वविद्यालय को प्राप्त होती है तो विश्वविद्यालय इस संबंध में निविदादाता के विरुद्ध सभी प्रकार के वैधानिक/कानूनी नियमों के अनुसार कार्यवाही करेगी एवं निविदादाता को Debar करने की कार्यवाही करेगी ।
2. निविदादाता अनुबंधित अवधि में सेवा प्रदाय करने में असमर्थ रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी सिक्योरिटी/परफोर्मेन्स राशि जब्त करते हुए **निविदादाता** का आदेश/अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए सेवा प्रदाय ऐजेन्सी की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर द्वितीय न्यूनतम दरदाता से प्राप्त दर पर उससे या अन्य ऐजेन्सी से प्रचलित बाजार दर पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विभाग द्वारा ले ली जावेगी जिसके समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
3. **निविदा दाता** /सेवाएं किसी अन्य को सबलेट/हस्तान्तरण किसी भी स्थिति में नहीं करेगा, यदि ऐसा पाया जाता है तो अनुबंध/आदेश को बिना किसी सूचना के रद्द/निरस्त कर दिया जावेगा **तथा जमा प्रतिभूति राशि निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।**

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

4. निविदादाता को दर अनुमोदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित समयावधि में बकाया प्रतिभूति राशि एवं अनुबंध किया जाना एवं आदेशानुसार प्रत्येक सुरक्षा प्रहरी को एकमुश्त पदस्थापन हेतु साक्षात्कार करवाया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा जमा धरोहर राशि जब्त करते हुये फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी । साक्षात्कार की दिनांक एवं समय पृथक से विश्विद्यालय द्वारा सूचित कर दिया जावेगा ।
5- क्रयादेश अनुबंधों की शर्तो को "भंग" करने या संविदा के असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति धनराशि जब्त करा ली जावेगी इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
6. किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने, किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा ।निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने तथा किसी भी समय निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित हैं ।
7. सफल निविदा दाता को नियमानुसार राशि 500/– रूपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध एसआर–17 पर करना होगा । जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होगी उसे कार्य की कुल राशि का 5 प्रतिशत प्रतिभूति जमा राशि के रूप में नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कराना होगा, जो कार्य संतोषजनक पूर्ण होने तक विश्वविद्यालय के पास जमा रहेगी तथा इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य करने में असमर्थता प्रकट करने पर धरोहर/प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि उस स्थिति में यह कार्य बाह्य एजेंसी द्वारा करवा लिया जावेगा एवं विश्वविद्यालय को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति दोषी फर्म को करनी होगी।
8. प्राप्त निविदाओं या उनकी दरों तथा अन्य शर्तो को मानने या न मानने का अंतिम अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

अनुलग्नक–"अ"
सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

अनुलग्नक "ब"

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोशणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक.....दिनांक.....के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंर्गत यह घोशणा करते है कि

01. मै/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते है ।
02. मै/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते है ।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोशित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रकियाधीन है ।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रकिया के दौरान गत तीन वर्षों में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रकिया से निष्कासित नही किया गया है ।
05. मै/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो ।

स्थान : .....
तारीख : .....

निविदादाता के हस्ताक्षर

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

अनुलग्नक "स"

निविदा प्रकिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.....कुलसचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.....कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में हे तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चिय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व –अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा:
   परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोशणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया है:

   परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वितिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वितिय बोली के मामले से सबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है ।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित हे तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितिय अपील दाखिल कर सकेगा ।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा ।
   अर्थातः
   कः उपापन की आवश्यकता का अवधारण
   ख बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध
   ग, यह विनिश्यक की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं
   घ. निबन्धनों में उपापन प्रकिया का रद्वकरण
   ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

4. **अपील का प्ररूप**.– (1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

अपील फाइल करने के लिए फीस.–

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

5. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया.–**

(1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

Registrar
P... ...endayal Upadhyay
... ...ati University, Sikar

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रारूप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील

का ज्ञापन

..... की अपील सं. .....
(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) ..... के समक्ष
1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :
(i) अपीलार्थी का नाम :.....
(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :.....
(iii) आवासिक पता :
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :
(i)
(ii) .
(iii)
3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :
6. अपील का आधार :
.....
.....
.....
..... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)
भाग 4 (ग) राजस्थान राज–पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)
7. प्रार्थना : .....
.....
.....
स्थान : .....
तारीख : .....
अपीलार्थी के हस्ताक्षर

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

निविदा की अतिरिक्त शर्ते

1. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर,सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल

मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.–** उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.–

(1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपंबधित हो,

संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

3. . अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.– सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो .ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Registrar
Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर(राज)

(सीकर–झुंझुनूस्टेट हाईवे, कटराथल, सीकर–332024)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.comदूरभाषनं.: 01572-232411

क्रमांकः प.118( )लेखा/ई–निविदा/2020–2021/ 18307 दिनांकः 02/03/2021

ई– निविदा साफ–सफाई हेतु श्रम आपूर्ति प्रपत्र

(सेवाओं हेतु संविदा)

विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों एवं परिसर की साफ–सफाई कार्य हेतु सफाईकर्मी उपलब्ध कराने हेतु निविदा।

विषय : ई–निविदा सूचना संख्या 03/2020–21 दिनांक 03.03.2021

निविदा प्रपत्र डाऊनलोड कर ऑन लाईन प्रस्तुत करने की प्रारम्भ दिनांक व समय : दिनाँक 03.03.2021 (2.00 PM)

ऑन लाईन तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय : 15.03.2021 (2.00PM) बजे तक

निविदा संबंधी मूल डी.डी. प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व समय : दिनाँक 15.03.2021 (3.00 PM) बजे तक

तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक व समय : दिनाँक 16.03.2021 (3.00PM)

निविदा जारी करने हेतु फर्म का नाम :– .....

अनुमानित लागत : 15,00000 (पन्द्रह लाख रूपये मात्र)

अमानत राशि : 30000 (तीस हजार रूपये मात्र)

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)
(सीकर–झुंझुनू स्टेट हाईवे, कटराथल, सीकर–332024)
वेबसाईटः www.shekhauni.ac.in ई–मेलः reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांकः प.118( )लेखा/ई–निविदा/2020–2021/ दिनांक

ई–निविदा प्रपत्र 03/2020–21

(तकनीकी बिड)

विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों एवं परिसर की साफ–सफाई कार्य हेतु सफाईकर्मी उपलब्ध कराने **हेतु निविदा।**

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम, डाक का पता व टेलीफोन/मोबाईल नम्बर

....

....

2. किसको सम्बोधित किया –कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर।
3. सन्दर्भ : आपकी ई–निविदा सूचना क्रमांक 3/2020–21 दिनांक 03.03.2021
4. हम कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना दिनांक 03.03.2021 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई–निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
5. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :–

क्र.सं.	विवरण	रजि0 सं0	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इन्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इन्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत				

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

6. पंजीकृत प्लेसमेंट एजेन्सी को कम से कम तीन वर्षों का राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सरकारी प्रतिष्ठानों/निगमों/कॉर्पोरेशन/स्वायत्तशाषी निकायों में कार्मिक उपलब्ध कराने का अनुभव का प्रमाण–पत्र।
7. एजेन्सी अपने संविधान की प्रति जिसमें एजेन्सी के मूलभूत उद्देश्य/लक्ष्य अंकित हो निविदा के साथ संलग्न करें। (यदि हो तो संलग्न करें)
8. फर्म का टर्न ओवर 15 लाख रूपये पिछले तीन वर्षो का औसत तथा तीन वर्ष की सनदी लेखाकार की अंकेक्षण रिपोर्ट जिसमें फर्म की वित्तीय स्थिति के प्रपत्र संलग्न हो, को प्रस्तुत करना होगा।
9. ठेकेदार को केन्द्रीय सरकार के कार्यालय/ राज्य सरकार के कार्यालय/पीएसयू/ विश्वविद्यालय भवनों में सफाई कार्य व्यवस्था का गत तीन वर्षों में कम से कम किसी एक वर्ष में रूपये 7.5 लाख की लागत का एकल कार्य करने का का अनुभव होना चाहिए। संबधित विभाग/संस्था से प्रमाणित अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
10. ब्लैक लिस्ट नहीं होने का शपथ –पत्र (100 रूपये के नॉनजूडिशियल स्टाम्प पर)
11. कार्य करने हेतु कुशलता के स्तर के अनुसार अनुभवी कार्मिक उपलब्ध कराने का शपथ पत्र 100/– नॉनजूडिशियल स्टाम्प पर (ANNEXURE- B)
12. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या .....दिनांक..... .....(जारी कर्ता बैंक का नाम) रूपये 30000/–.के लिए **अमानत राशि** के पेटे संलग्न है। जो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को देय हो।
13. बैंक ड्राफ्ट सं0 .....दिनांक .....राशि 1000/– ....(जारी कर्ता बैंक का नाम) जो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को देय हो (**निविदा शुल्क के पेटे संलग्न**)
14. बैंक ड्राफ्ट सं0 .....दिनांक .....राशि 500/–..... ..... (जारी कर्ता बैंक का नाम) जो MD RISL, Jaipur को देय हो वास्ते (**प्रोसेसिंग फीस के पेटे संलग्न**)

निविदादाता के हस्ताक्षर

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

पंडितदीनदयालउपाध्याय शेखावाटीविश्वविद्यालय, सीकर(राज)

(सीकर–झुंझुनूस्टेट हाईवे, कटराथल, सीकर–332024)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.comदूरभाषनं.: 01572-232411

क्रमांकः प.118( )लेखा/ई–निविदा/2020–2021/ दिनांक

सफाई हेतु ई–निविदा प्रपत्र-वित्तीय बिड

ई–निविदा क्रमांक– 03/2020–2021

1. निविदादाता/फर्म का नाम : .....

2. निविदादाता का पता : .....

.....

.....

.....

3. मोबाईल /दूरभाष न. : .....

4. सेवा का प्रकार :– विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों की सफाई **हेतु** सफाईकर्मी उपलब्ध कराने **हेतु** दर संविदा के लिये निम्नानुसार दरें प्रस्तुत है :–

क.स.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर प्रति दिन	E.P.F. दर 13. प्रतिशत	E.S.I. दर 3. 25 प्रतिशत (यदि लागू हो तो)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सफाई कार्य हेतु श्रमिक	अकुशल	225/– प्रतिदिन एवं 5850/– प्रतिमाह					
2	सफाई कार्य हेतु सुपरवाइजर	अर्द्ध कुशल	237/– प्रतिदिन एवं 6162/– प्रतिमाह					

नोटः–उपरोक्त BOQ के अन्तर्गत निविदादाता को कॉलम संख्या 5 एवं 8 में राशि अंकित कर अपनी दर प्रस्तुत करनी है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

विश्वविद्यालय के भवनों एवं समस्त परिसर के साफ–सफाई कार्य हेतु आमंत्रित निविदा के प्रतिबंध एवं शर्ते

1. निविदा उन फर्मों/व्यवसाइयों द्वारा हो जो या तो उन वस्तुओं/कार्यो आदि के लिए रजिस्टर्ड/अनुमोदित प्रदाय हो या उनके द्वारा जो निविदा दी जा रही है, वास्तव में व्यवसाय कर रहे हैं, दी जानी चाहिये।
2. फर्म का पिछले तीन वर्षो में औसत वार्षिक टर्न ओवर 15 लाख या उससे अधिक होना चाहिए।
3. ठेकेदार को केन्द्रीय सरकार के कार्यालय/ राज्य सरकार के कार्यालय/पीएसयू/ विश्वविद्यालय भवनों में सफाई कार्य व्यवस्था का गत तीन वर्षों में कम से कम किसी एक वर्ष में रूपये 7.5 लाख की लागत का एकल कार्य करने का का अनुभव होना चाहिए। संबधित विभाग/संस्था से प्रमाणित अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
4. निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं न्यूनतम 50 श्रमिक हेतु श्रम विभाग जारी लाईसेन्स निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
5. निविदादाता द्वारा दी गयी अलाभप्रद निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। समान दर प्राप्त होने की स्थिति में टर्न ओवर, अनुभव एवं अन्य कारकों के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।
6. ठेकेदार सफाई के कार्य का ठेका अन्य किसी दूसरी फर्म/व्यक्ति को सब्लेट नहीं **कर** सकेगा ।
7. विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गये निर्धारित प्रपत्र एवं निर्धारित अवधि में प्राप्त होने वाली निविदायें ही स्वीकार की जावेगी ।
8. एक से अधिक निविदादाताओं की दरें समान होने पर सफाई कार्य में अनुभवी एवं औसत वार्षिक टर्न ओवर के आधार पर फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी ।
9. विधिमान्यताः– निविदाएं खोले जाने की तारीख से 90 दिवस तक ही कालावधि हेतु विधि मान्य होगी ।
10. निविदा की boq शीट में दरें अंको एवं शब्दों दोनों मे स्पष्ट अंकित करें ।
11. निविदा हेतु अपलोड किये गए दस्तावेजों पर किसी प्रकार की काट–छांट नही होनी चाहिए। किसी कारण काट–छांट की गई तो उस पर पूरे हस्ताक्षर निविदादाता के होना आवश्यक है अन्यथा उसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
12. निविदा में निविदादाता द्वारा कोई शर्त अंकित नहीं की जाएगी एवं शर्त युक्त निविदा निरस्त योग्य होगी ।
13. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का विश्वविद्यालय प्रशासन को पूर्ण अधिकार होगा।
14. अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए मान्य होगी। जिसे परस्पर सहमति से नियमानुसार बढाया जा सकता है।
15. सेवा के दौरान हुई किसी भी हानि,चूक,एवं भूल क्षतिपूर्ति एवं कानूनी दायित्वों का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। हानि की राशि संवेदक के भुगतान से काट ली जाऐगी ।
16. निम्न कारणों से ठेकेदार द्वारा प्रदत धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी :–
    (क) आदेशित सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर ।
    (ख) निविदादाता द्वारा निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकृत करने से पूर्व प्रस्ताव वापिस लेने अथवा उसमें परिवर्तत करने पर ।
    (ग) निर्धारित समय के भीतर अनुबंध नहीं करने पर ।
    (घ)निर्धारित अवधि में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने पर ।

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

17. यदि निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादित नही किया जाता है तो शेष कार्य निविदादाता की जोखिम पर अन्य ठेकेदार से कार्य करवाया जा सकेगा तथा इससे हुई हानी की वसूली निविदादाता से की जाएगी ।

18. सफाई संबधी उतम क्वलिटी की समस्त सामग्री यथा फिनाईल, साबुन, मिट्टी का तेल, ओडोनिल, फिनायल की गोली, तेजाब, वासिंग पावडर, झाड़ू, टिनापोल, बांस की झाड़ू, पोचे, ब्रश, वाईपर, आदि ठेकेदार को विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगे। **झाड़ु लगाना,** फर्श की धुलाई **करना,** खिड़कीयां, दरवाजों, जालियों,छतों एवं दीवारों आदि की dusting के साथ–साथ उनके हैंडल, चिटकनी, जाली, हत्थे, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर आदि को सोडियम हाइपोक्लोराइट/सेनेटाइजर से साफ करना एवं स्प्रे करना तथा **विश्वविद्यालय में प्रत्येक प्रभारी एवं कर्मचारी के कक्ष में सेनेटाइजर उपलबध रखना, कचरा निर्धारित स्थान पर डालना एवं उस कचरे के निस्तारण का समस्त कार्य प्रतिदिन करना हेागा।** इसके अतिरिक्त जालों की सफाई, **खिडकियों की बाहरी तरफ से सफाई** आदि तथा अन्य सफाई कार्य जो विश्वविद्यालय द्वारा उचित समझा जाए, वह भी इस कार्य में सम्मिलित होंगे I

19. **विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले विशिष्ट कार्यक्रमों के लिये भवनों एवं सडकों के सफाई कार्य की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी जिसके लिये निर्देशानुसार नियोजित सफाई कर्मचारियों से इस कार्य को संपादित करने का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा। यदि कार्य के लिये आवश्यकता होने पर अतिरिक्त श्रमिकों को नियोजित करवाया जाता है तो इस हेतु दर संविदा अनुसार देय भुगतान पृथक से विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा।**

20. ठेकेदार को विश्वविद्यालय भवनों एवं परिसर में पूर्ण रूप से स्वच्छता रखवानी होगी। प्रत्येक भवन के गलियारों एवं सभी कक्षों में फिनायल सहित पौचा लगाना आवश्यक होगा। प्रतिदिन टायॅलेटस् की विशेष रूप से हार्पिक्स, फिनॉयल आदि के द्वारा सफाई करनी होगी। टायलेट के चेंम्बर तथा ब्लाकेज आने पर आवश्यक सफाई कार्य एवं उनकों दुरस्त करने का कार्य भी ठेकेदार का होगा।

21. **ठेकेदार द्वारा सप्ताह में एक दिन प्रत्येक भवन के चारों तरफ से झाड़ियां, खरपतवार एवं अनावश्यक वनस्पति को काटकर सफाई करना अनिवार्य होगा तथा काटी गयी झाडियों आदि को एक स्थान पर एकत्रित कर जलाना सुनिश्चित करना होगा । साथ ही माह में एक बार विश्वविद्यालय की समस्त सड़कों की भी सफाई करना अनिवार्य होगा ।**

22. **विश्वविद्यालय परिसर में एक सफाई सुपरवाइजर रोजाना प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक उपलब्ध रहेगा एवं प्रत्येक भवन में सफाई हेतु कम से कम एक कर्मचारी सुपरवाईजर के निर्देशन में प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक नियमित रूप से उपस्थित रह कर कार्य करेगा। ऐसे सफाई कर्मियों का ठेकेदार द्वारा उपस्थिति पंजिका का संधारण करना होगा जिसका निरीक्षण कभी भी श्रीमान कुलसचिव द्वारा किया जा सकेगा ।प्रत्येक भवन हेतु उक्त कर्मचारी नियमित रूप से उपस्थित रहकर विश्वविद्यालयों के अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्य का संपादन करेगा जिनसे प्रमाणीकरण के पश्चात् ही बिल का भुगतान किया जाएगा I** उक्त शर्त के उल्लंघन में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। समय-समय पर श्रम एवं अन्य नियमों के अनुरूप मजदूरी, कर आदि की दरों में हुई बढोतरी का भुगतान भी फर्म को देय होगा एवं तदनुसार संवेदक द्वारा श्रमिकों को भी भुगतान करना होगा। श्रम नियमों तथा कर नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों को देय मजदूरी तथा श्रमिकों के लिए किये गए पी.एफ, ई.एस.आई आदि भुगतान एवं समय समय पर लागू करों (यथा सेवा कर, वैट आदि) के

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

भुगतान के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को आवश्यकतानुसार दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे जिसके अभाव में बिल का भुगतान रोक दिया जाएगा जिसके लिए संवेदक स्वयं ज़िम्मेदार होगा I

23. अनुमोदित फर्म को कार्यालय आदेश/अनुबंध करते समय यह निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सफाई व्यवस्था हेतु फर्म को कुलसचिव/ वित्त नियंत्रक /संपदा अधिकारी /स. कुलसचिव (सामान्य प्रशासन) द्वारा आदेशित संख्या के अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगवाकर कार्यक्रम के निर्धारित समय से दो घंटे पूर्व , प्रभारी अधिकारी के निर्देशन में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी I
24. सफाई की व्यवस्था के लिये कुलसचिव अथवा नामांकित अधिकारी/संपदा अधिकारी/प्रभारी कुलपति निवास पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा दिये गये समस्त आदेशों की ठेके के अनुरूप शर्तों की पालना ठेंकेदार को करनी होगी तथा बिना किसी विवाद के ठेकेदार को कार्य कराना हेागा।
25. ठेके की अवधि के दौरान विवादास्पद स्थिति में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम एवं ठेकेदार को मान्य हेागा ।
26. ठेकेदार द्वारा लगाये गये सफाई कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रतिदिन तथा अवकाश के दिनों में भी साफ–सफाई का कार्य करना होगा। किसी भी परिस्थिति में अथवा किसी कारण से साफ–सफाई कार्य बंद नही किया जा सकेगा । ठेकेदार और सफाई कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति हो जाने पर भी ठेकेदार को अन्य सफाई कर्मचारी की सहायता से सफाई कार्य यथा समय कराना होगा । सफाई नहीं होने की स्थिति में ऐसे दिवसों का भुगतान नहीं होगा और बिल से अनुपातिक राशि की कटौती कर ली जाएगी ।
27. सफाई के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना या उनके द्वारा सफाई हेतु लगाये गये सफाई कार्मिकों द्वारा की गयी चोरी, आग, दुराचरण एवं क्षति आदि की क्षतिपूर्ति के लिये संवदेक जिम्मेदार होगा।
28. ठेकेदार द्वारा सप्ताहिक कार्य संपादित कर प्रति सप्ताह के मंगलवार को सभी भवन प्रभारियों द्वारा कार्य पुष्टिकरण बाबत रिपोर्ट प्राप्त करते हुये मासिक बिल सामान्य प्रशासन अनुभाग में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। भवन प्रभारियों से प्राप्त असंतोषप्रद टिप्पणी के आधार पर अनुपातिक रूप से प्रति दिवस प्रति भवन की शास्ति प्रेषित बिल में से काटकर भुगतान की आगामी कार्यवाही की जायेगी।
29. समस्त विधिक कार्यवाही का क्षेत्र सीकर शहर में स्थित न्यायालय ही होगा।
30. अनुबंन्ध की शर्तों के अनुरूप यदि सेवाऍं सन्तोषप्रद नहीं रही तो सात दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाऐगा और धरोहर/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
31. निविदा में अंकित दरों के अतिरिक्त किसी भी कर/प्रतिकर का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा एवं कर संबंधी किसी भी वैधानिक दायित्व की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
32. उक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राज्य सरकार के सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 की शर्तें इस निविदा पर लागू होगी–

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

1. **धरोहर राशिः–**

(i) निविदा के साथ धरोहर राशि के 30,000/– रूपये बैंकर चैक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा जमा होनी चाहिये जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि **कुलसचिव**, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के पक्ष में जमा करायी जानी चाहिये।

(ii) धरोहर राशि निविदा के अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने एवं अनुबंध हो जाने के बाद यथाशीघ्र विफल निविदादाता को प्रत्यार्पित कर दी जायेगी। सफल निविदाकारों को करार के समय अनुमानित लागत मूल्य की पॉच प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें उनके द्वारा जमा धरोहर राशि का समायोजन कर लिया जावेगा शेष प्रतिभूति राशि भी डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(iii) राजस्थान के लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों को निदेशक उद्योग विभाग द्वारा जारी किए पंजीयन प्रमाण–पत्र, क्षमता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर 0.5 प्रतिशत धरोहर राशि ली जाएगी तथा आदेशित मूल्य 1 प्रतिशत प्रतिभूति राशि ली जावेगी।

(iv) केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार के उपक्रमों से उपरोक्तानुसार धरोहर राशि तथा प्रतिभूति निक्षेप देने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।

2. **निविदा की स्वीकृति, अनुबंध एवं प्रतिभूति राशिः–**

(i) किसी भी निविदा को स्वीकार करने में कुलसचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम दर की निविदा हो।

(ii) विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन वस्तुओं के लिए निविदा की गयी है, उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के लिए विश्वविद्यालय की इच्छानुसार आदेश दिए जा सकते हैं तथा विशेष परिस्थिति में मात्रा या कार्यादेश में पचास प्रतिशत तक की वृद्धि एवं कमी की जा सकती है।

(iii) सफल निविदादाताओं को अपने खर्चे पर निविदा स्वीकार करने की सूचना जारी होने के दस दिवस में निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगीः–

1. जिसमें निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार निर्धारित राशि 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार सात दिवस में निष्पादित करना होगा।

2. संविदा के यथावत कियान्विती के लिए प्रस्तावित कार्यादेश के मूल्य के 5 प्रतिशत बराबर प्रतिभूति राशि बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट द्वारा सात दिवस में जमा करानी होगी। यदि निविदादाता विहित कालावधि में प्रतिभूति राशि जमा कराकर करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबंधनों तथा शर्तों का भंग होना माना जाएगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तदुपरान्त बिना नोटिस अन्य निविदादाताओं को क्रय आदेश देने का अधिकार होगा।

   प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग इकाई को निर्धारित वर्णित सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर सफल निविदादाता को नियमानुसार छूट दी जावेगी। प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

(iv) निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढ़ंग से पूरा करने पर क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय ही अंतिम होगा।

(v) प्रतिभूति राशि बिलों का अंतिम भुगतान हो जाने एवं समस्त संबंधितों से संतोषप्रद कार्य की सूचना प्राप्त होने एवं संविदा **की कार्यावधि** पूर्ण होने के पश्चात् के धरोहर/प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी, ऐसी प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

(vi) धरोहर राशि अथवा प्रतिभूति राशि का विप्रेक्षण व्यय (रिमिटेंस चार्जेज) संविदादाता द्वारा वहन किए जाऐंगे।

33. कार्य की प्रकृति के आधार पर लागू होने वाले समस्त नियम–कानूनों की पालना ठेकेदार को करनी होगी।

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

34. संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को माननीय कुलपति को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
35. समस्त विधिक कार्यवाहियॉ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा सीकर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जा सकती।
36. उपापन अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने, किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं ।
37. अर्नेस्टमनी, निविदा शुल्क, तथा ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में निविदा पूर्णतया निरस्त मानी जाकर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
38. प्राप्त निविदाओं या उनकी दरों तथा अन्य शर्तो को मानने या न मानने का अंतिम अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
39. निविदा में वाछिंत प्रपत्रों को स्कैन कर अपलोड करना आवश्यक है ।
40. निविदा ई–प्रोक्योरमेंट साइट से डाउनलोड करके, हस्ताक्षर करके मय आवश्यक प्रपत्रों के स्कैन कॉपी स्कैन करके ई–प्रोक्योरमेंट साइट पर उपलब्ध करवानी होगी व वित्तीय बिड इसी साइट उपलब्ध वितिय बिड शीट में ऑनलाइन अंकित करनी हेागी । वित्तीय बिड को स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाना है I भौतिक रूप से निविदा स्वीकार्य नहीं होगी ।
41. विश्वविद्यालय की वेबसाइट व sppp पोर्टल पर भी निविदा डाउनलोड/अपलोड नहीं की जा सकेगी। उक्त दोनों वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र मात्र अवलोकनार्थ डाले गये है ।
42. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा करायी गयी राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करायी गयी राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।
43. श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुयी न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
44. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
45. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों को नियमानुसार ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जावेगा।
46. निविदाकार निविदा स्वीकृति के बाद कार्य आदेश मिलने के एक सप्ताह में निर्धारित बताए गए स्थानों पर सेवायें उपलब्ध करा देगा। संविदा के अन्तर्गत कार्मिकों हेतु आदेश विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप समय–समय पर दिये जायेंगे। कार्मिकों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप कम या अधिक हो सकेगी।

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

47. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवाकर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी। वस्तु एवं सेवाकर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवाकर (GST) का भुगतान नहीं किया जावेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवाकर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
48. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों एवं उपरोक्त बिन्दुओं को पढकर हस्ताक्षर कर दियें है। हम इनका पूर्ण रूप से पालन करनें के लिए सहमत है ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

अनुलग्नक–"अ"

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

अनुलग्नक "ब"

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक.....दिनांक.....के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंर्गत यह घोषणा करते है कि

01. मै/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते है ।
02. मै/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते है ।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रकियाधीन है ।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रकिया के दौरान गत तीन वर्षें में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रकिया से निष्कासित नही किया गया है ।
05. मै/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो ।

स्थान : .....
तारीख : .....

निविदादाता के हस्ताक्षर

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

अनुलग्नक "स"

निविदा प्रकिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.....कुलसचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.....कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में हे तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चिय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व –अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा:

   परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया है:

   परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वितिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वितिय बोली के मामले से सबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है ।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित हे तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितिय अपील दाखिल कर सकेगा ।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा ।

   अर्थातः

   कः उपापन की आवश्यकता का अवधारण

   ख बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध

   ग. यह विनिश्यक की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं

   घ. निबन्धनों में उपापन प्रकिया का रद्दकरण

   ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

4. **अपील का प्रारूप**.– (1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2)प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3)प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. **अपील फाइल करने के लिए फीस.–**

(1)प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2)फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया.–**

(1)प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

प्ररूप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील

का ज्ञापन

..... की अपील सं. .....

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) ..... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

(i) अपीलार्थी का नाम :.....

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :.....

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii) .

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों

और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

.....

.....

.....

. (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज–पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना : .....

.....

.....

स्थान : .....

तारीख : .....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

अनुलग्नक "द"

निविदा की अतिरिक्त शर्ते

1. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर,सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.–** उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.–

(1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपंबधित हो,

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

3. **अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.–**

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(सीकर–झुंझुनू स्टेट हाईवे, कटराथल, सीकर–332024)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक: प.118( )लेखा/ई–निविदा/2020–2021/18308 दिनांक: 02/03/2021

ई–निविदा प्रपत्र

(श्रम आधारित कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति ठेका)

(अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल कार्मिकों की आपूर्ति हेतु)

विषय : ई–निविदा सूचना संख्या 04/2020–21

निविदा प्रपत्र डाऊनलोड कर ऑन लाईन प्रस्तुत करने की प्रारम्भ दिनांक व समय : दिनाँक 03.03.2021 (2.00 PM)

ऑन लाईन तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय : 15.03.2021 (2.00PM) बजे तक

निविदा संबंधी मूल डी.डी. प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व समय : दिनाँक 15.03.2021 (3.00 **PM**) बजे तक

तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक व समय : दिनाँक 16.03.2021 (3.00PM)

निविदा जारी करने हेतु फर्म का नाम :– .....

अनुमानित लागत : 15,00000 (पन्द्रह लाख रूपये मात्र)

अमानत राशि : 30000 (तीस हजार रूपये मात्र)

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)
(सीकर–झुंझुनू स्टेट हाईवे, कटराथल, सीकर–332024)
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक: प.118( )लेखा/ई–निविदा/2020–2021/ दिनांक

ई–निविदा प्रपत्र 4/2020–21

(तकनीकी प्रस्ताव)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल कार्मिकों की आपूर्ति हेतु निविदा।

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम, डाक का पता व टेलीफोन/मोबाईल नम्बर

   .....

   .....

2. किसको सम्बोधित किया –कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर।
3. सन्दर्भ : आपकी ई–निविदा सूचना कमांक 4/2020–21
4. हम कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना दिनांक 03.03.2021 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई–निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
5. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :–

क.स.	विवरण	रजि0 सं0	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इन्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इन्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत				

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

6. पंजीकृत प्लेसमेंट एजेन्सी को कम से कम तीन वर्षों का राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सरकारी प्रतिष्ठानों/निगमों/कॉर्पोरेशन/स्वायत्तशाषी निकायों में कार्मिक उपलब्ध कराने का अनुभव का प्रमाण–पत्र।
7. एजेन्सी अपने संविधान की प्रति जिसमें एजेन्सी के मूलभूत उद्देश्य/लक्ष्य अंकित हो निविदा के साथ संलग्न करें। (यदि हो तो संलग्न करें)
8. फर्म का टर्न ओवर 15 लाख रूपये पिछले तीन वर्षो का औसत तथा तीन वर्ष की सनदी लेखाकार की अंकेक्षण रिपोर्ट जिसमें फर्म की वित्तीय स्थिति के प्रपत्र संलग्न हो, को प्रस्तुत करना होगा।
9. फर्म द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष में कम से कम 7.5 लाख रूपये का एकल कार्य संपादन का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. ब्लैक लिस्ट नहीं होने का शपथ –पत्र (100 रूपये के नॉनजूडिशियल स्टाम्प पर)
11. तकनीकी कार्य करने हेतु कुशलता के स्तर के अनुसार अनुभवी कार्मिक उपलब्ध कराने का शपथ पत्र 100/– नॉनजूडिशियल स्टाम्प पर (ANNEXURE- B)
12. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या .....दिनांक.....जो ....(बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है, रूपये 30000/–.के लिए अमानत राशि के पेटे संलग्न है।
13. बैंक ड्राफ्ट सं0 .....दिनांक .....राशि 1000/– जो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर (निविदा शुल्क)
14. बैंक ड्राफ्ट सं0 .....दिनांक .....राशि 500/– जो MD RISL, Jaipur के नाम वास्ते (प्रोसेसिंग फीस)

निविदादाता के हस्ताक्षर

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(सीकर–झुंझुनू स्टेट हाईवे, कटराथल, सीकर–332024)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक: प.118( )लेखा/ई–निविदा/2020–2021/ दिनांक

ई–निविदा प्रपत्र 4/2020–21

(वित्तीय प्रस्ताव)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में अकुशल, अर्द्धकुशल, एवं कुशल कार्मिकों की आपूर्ति हेतु निविदा।

कुलसचिव
पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,
सीकर

विषयः– अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल कार्मिकों की आपूर्ति हेतु वित्तीय प्रस्ताव।

महोदय,

आपकी ई निविदा दिनांक 03.03.2021.के क्रम में चाहे अनुसार अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल कार्मिकों की आपूर्ति हेतु संविदा दरें निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

क.स.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर प्रति दिन	E.P.F. दर 13. प्रतिशत	E.S.I. दर 3. 25 प्रतिशत (यदि लागू हो तो)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	इलेक्ट्रिशियन	कुशल	249/– प्रतिदिन एवं 6474/– प्रतिमाह					
2	प्लम्बर	कुशल	249/– प्रतिदिन एवं 6474/– प्रतिमाह					
3	पुस्तक परिचर	अर्द्धकुशल	237/– प्रतिदिन एवं 6162/– प्रतिमाह					
4	रसोइया (कुक)	कुशल	249/– प्रतिदिन एवं 6474/– प्रतिमाह					
5	वेटर	अर्द्धकुशल	237/– प्रतिदिन एवं 6162/– प्रतिमाह					
6	उद्यान निरीक्षक	कुशल	249/– प्रतिदिन एवं 6474/– प्रतिमाह					

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

7	बागवान	अकुशल	225/– प्रतिदिन एवं 5850/– प्रतिमाह					
8	श्रमिक	अकुशल	225/– प्रतिदिन एवं 5850/– प्रतिमाह					

नोटः–उपरोक्त BOQ के अन्तर्गत निविदादाता को कॉलम संख्या 5 एवं 8 में राशि अंकित कर अपनी दर प्रस्तुत करनी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल कार्मिकों की आपूर्ति हेतु
निविदा नियम एवं शर्ते

टिप्पणी :– निविदाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाएँ भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
2. श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)न्यू.म./श्रम/2000पार्ट/7182 दिनांक 06.03.19 में अंकित शर्तें भी संवेदक पर लागू रहेगी। वित्त (G&T) विभाग एवं राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक 30.04.2018 की पालना किया जाना आवश्यक होगा।
3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
4. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुये संबंधित उपापन संस्था द्वारा बिड संबंधी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
5. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा करायी गयी राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करायी गयी राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।
6. श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुयी न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों को नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जावेगा।
8. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवाकर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी। वस्तु एवं सेवाकर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवाकर (GST) का भुगतान नहीं किया जावेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवाकर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
9. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा।

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

10. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
11. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
12. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
13. प्रस्तावित दरें निविदा स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के लिए विधि मान्य होगी। नियत अवधि के बाद दोनो पक्षों की सहमति पर ही नियमानुसार अनुबन्ध को बढाया जा सकेगा।
14. निविदाएँ पृथक–पृथक अपलोड करनी होगी। प्रथम **तकनीकी प्रस्ताव** एवं द्वितीय **वित्तीय प्रस्ताव** पृथक–पृथक रूप से निविदाकार द्वारा अंकित किया जाना आवश्यक है। क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जावेगा। उनमें वैध पाई गई निविदाओं के ही वित्तीय प्रस्ताव खोलकर मूल्यांकन किया जावेगा।
15. दरों में ई.एस.आई, ई.पी.एफ. एंव प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा लिया जाने वाला सर्विस चार्ज शामिल करते हुए दरें अंकित करें। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा लिये जाने वाले जी.एस.टी. नियमानुसार पृथक से भुगतान किया जावेगा इनको दर में शामिल नहीं किया जावे।
16. प्लेसमेंट एजेन्सी का वस्तु एवं सेवा कर विभाग में जी एस टी रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
17. श्रमिको को विभाग द्वारा तय मजदूरी से कम दर देने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी ।
18. राज्य सरकार द्वारा अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्मिक/सेवायें उपलब्ध कराने की स्थिति में अनुबन्ध की सेवाओं को अनुबन्ध की अवधि के मध्य समाप्त किया जा सकेगा जिसका किसी प्रकार का दावा मान्य नही होगा।
19. पंजीकृत प्लेसमेंट एजेन्सी को कम से कम तीन वर्षों का राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सरकारी प्रतिष्ठानों/निगमों/कॉर्पोरेशन/स्वायत्तशाषी निकायों में कार्मिकों उपलब्ध कराने का अनुभव होना आवश्यक है। इस हेतु एजेन्सी अनुभव प्रमाण–पत्र/आदेशों /अनुबधों की प्रतियां निविदा के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें। इनके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
20. एजेन्सी अपने संविधान की प्रति जिसमें एजेन्सी के मूलभूत उद्देश्य/लक्ष्य अंकित हो निविदा के साथ संलग्न करें।
21. फर्म का टर्न ओवर पिछले तीन वर्षो का औसत 15 लाख वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 का तथा तीन वर्ष की सनदी लेखाकार की अंकेक्षण रिपोर्ट जिसमें फर्म की वित्तीय (Balance Sheet etc.)स्थिति के प्रपत्र संलग्न हो, को प्रस्तुत करना होगा।
22. फर्म द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष में कम से कम 7.5 लाख रूपये का एकल कार्य संपादन का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
23. निविदादाता द्वारा दी गयी अलाभप्रद निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। समान दर प्राप्त होने की स्थिति में टर्न ओवर, अनुभव एवं अन्य कारकों के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

भुगतान एवं शास्ती :–

24. विश्वविद्यालय द्वारा एजेन्सी को चैक द्वारा भुगतान किया जाएगा तथा एजेन्सी भी कार्मिकों को रेखाकिंत चैक द्वारा भुगतान करेगी, यह प्रमाण–पत्र निविदा के समय एजेन्सी द्वारा दिया जावे। प्रतिमाह एजेन्सी को धनराशि जारी करने से पूर्व गत माह कार्मिकों को जारी किए गए चैकों का विवरण एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत करना होगा जिससे संतुष्ट होने पर कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर द्वारा अगली धनराशि का चैक जारी किया जाएगा। एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाए गए कार्मिकों से किसी भी प्रकार की भुगतान से संबंधित शिकायत

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया जावेगा, इसके उपरान्त ही भविष्य में भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

25. एजेंसी को किये जाने वाले भुगतान में से नियमानुसार टी.डी.एस. एवं अन्य कटौतियॉ की जावेगी।
26. अनुमोदक प्रदायक के बारे में यह समझा जावेगा कि उसके द्वारा निविदा की शर्तें भलीभांति समझ ली गई हैं। यदि कोई संदेह हो तो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर से पूछताछ कर दूर करें।
27. निविदाकार निविदा स्वीकृति के बाद कार्य आदेश मिलने के एक सप्ताह में निर्धारित बताए गए स्थानों पर सेवायें उपलब्ध करा देगा। संविदा के अन्तर्गत कार्मिकों हेतु आदेश विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप समय–समय पर दिये जायेंगे। कार्मिकों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप कम या अधिक हो सकेगी।
28. जिन कार्मिकों की सेवाओं को उपलब्ध कराया जावेगा उनकी समय पर उपस्थिति और कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक होने पर ही मानदेय का भुगतान किया जावेगा यह रिपोर्ट प्रतिमाह की अंतिम तिथि को संबंधित नियंत्रक अधिकारी द्वारा दी गई ही मान्य होगी।
29. कार्मिकों के विलम्ब से आने और निर्धारित समय पर काम नहीं करने एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर द्वारा एजेन्सी को सूचित किया जावेगा कि उसके स्थान पर अन्य कार्मिक उपलब्ध करावे अन्यथा एजेन्सी को देय राशि में से आनुपातिक रूप से कटौती की जावेगी। इसके साथ ही कार्मिक किसी भी प्रकार से अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाता है एवं उसकी लापरवाही से कार्यालय को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेन्सी द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि अथवा उसकी जमा प्रतिभूति राशि में से हानि के अनुपात में राशि की कटौती की जावेगी।
30. निविदाकार निविदा की शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर स्वीकृति के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षर करें। निविदादाता द्वारा अंकित अन्य शर्त मान्य नहीं होगी ।
31. सफल निविदाकार को निर्धारित प्रारूप में एक अनुबंध निष्पादित करना पड़ेगा और निविदा की यथावत क्रियान्विति के लिए संविदा की लागत का 5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि 75,000/–रूपये डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी। अमानत राशि धरोहर राशि में समायोजित कर ली जावेगी जो अनुबंध की अवधि समाप्ति पश्चात् लौटा दी जावेगी। इस राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
32. निविदा को स्वीकार करने में यह आवश्यक नहीं कि यह न्यूनतम हो। कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर को किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा। समान दर की स्थिति में निविदा स्वीकार करते समय पूर्व कार्यानुभव/पूर्व में प्रदान की गई संतोष जनक सेवा प्रदाताओं को प्राथमिकता दी जावेगी।
33. निविदा की शर्तों का पालन न करने पर अनुबंध तुरंत समाप्त कर दिया जावेगा तथा भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से रोक लिया जावेगा एवं उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय एजेन्सी का होगा।
34. संविदा के संबंध में उत्पन्न हुए सभी निविदा के निर्णय का अधिकार कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर के पास सुरक्षित होगा जिनका निर्णय ही अंतिम एवं मान्य होगा।
35. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा लागू किसी भी नियम/कानून आदि के तहत् न्यूनतम मजदूरी आदि का भुगतान तथा देय कर/शुल्क/पी.एफ./ई.एस.आई. आदि का भुगतान, यदि देय हों तो, सेवा प्रदाता एजेन्सी को करना होगा। विभाग द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
36. जॉब वर्क हेतु लगाये गये कार्मिक को बदलने का अधिकार सेवा प्रदाता एजेन्सी का होगा किन्तु इसका पूर्व अनुमोदन विभाग से कराना होगा।
37. अनुबन्ध में वर्णित कार्य सुचारू व सन्तोषजनक रूप से पूरे न करने पर यदि आवश्यक समझा गया तो कार्य सेवा प्रदाता एजेन्सी के हर्ज–खर्च पर अन्य एजेन्सी/साधन से कार्य करवाया जायेगा तथा यदि इस व्यवस्था पर कोई अतिरिक्त व्यय विभाग को वहन करना पडा तो वह राशि सेवा प्रदाता एजेन्सी से वसूली योग्य होगी।
38. कार्य सन्तोषजनक न होने की स्थिति में विभाग को यह अधिकार होगा कि वह इस अनुबन्ध को किसी भी समय बिना पूर्व नोटिस के समाप्त कर दे।

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

39. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये कार्मिक के चरित्र एवं ईमानदारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता एजेन्सी की होगी। यदि कार्मिक का कार्य सन्तोषप्रद नही होता है तो उसे बदलने की सूचना देने के 24 घण्टे में कार्मिक को बदलना होगा।

40. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा लगाये गये कार्मिक को साफ–सुथरा रहना होगा तथा वह राज्य सरकार के नियमों के अनुसार भवन परिसर में धूम्रपान नही करेगा। कार्यालय–डयूटी पर किसी प्रकार का नशा आदि भी नही करेगा तथा ना ही करके आयेगा।

41. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा लगाये गये कार्मिक का व्यक्तिगत विवरण (मय पासपोर्ट आकार का फोटो) विभाग के रिकॉर्ड हेतु ठेका प्रारम्भ करने से पूर्व विभागीय कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। कार्मिकों के तकनीकी एवं कुशलता के स्तर यथा अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल होने के प्रमाणन सम्बन्धी दस्तावेज भी ठेका प्रारम्भ या कार्यादेश जारी होने पर प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है।

42. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कार्मिक के अच्छे चरित्र की प्रमाणिकता देते हुये उनके स्थान एवं वर्तमान निवास की जानकारी समय–समय पर विभाग को देनी होगी।

43. वर्तमान में प्रभावी किसी भी राजकीय कानून/नियम आदि की पालना का पूर्ण दायित्व सेवा प्रदाता एजेन्सी का होगा।

44. निविदा स्वीकृत होने के अन्दर सात दिवस में 500/– रू0 **राशि के नॉन** ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। जिसका समस्त खर्चा सेवा प्रदाता ऐंजेसी को करना होगा। जमा सुरक्षा राशि सन्तोषजनक अनुबन्ध समाप्ति के बाद लौटाई जा सकेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

45. फर्म के संबंध में–

1. (अ) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा की जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार को रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

46. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी भी भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।

47. सुपुर्दगी अवधि :– बिडदाता, जिसकी बिड स्वीकार की होगी उसे कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर से आदेश प्राप्त होने की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर कर्मी उपलब्ध कराने होंगे।

48. बयाना राशि का समपहरण :– बयाना राशि को निम्नालिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :

   (1) जब बिडदाता बाली खोलने के बाद किन्तु बिड को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

   (2) जब बिडदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

   (3) जब बिडदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।

   (4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों को प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

49. (1) करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :–

   (1) सफल बिडदाता को निविदा स्वीकार किये जाने की सूचना प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिनके लिए बोलियां स्वीकार की गयी हैं, उनके वार्षिक मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति करार–पत्र निष्पादित करने से पूर्व जमा करानी होगी।

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

(2) बिड के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(4) प्रतिभूति निक्षेप का समर्पहरण :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :–

(क) जब संविदा के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का उल्लघंन किया गया हो।

(ख) जब बिडदाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(5)करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बिडदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग द्वारा उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपड़त () बिडदाता को निःशुल्क दी जाएगी।

50. क्रेता अधिकारी किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बिड को रद्द करने या जिन कार्य/वस्तुओं के लिए बिडदाता ने बिड दी है। उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बिड को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान/कार्य की मदों में वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

51. बिडदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्ताबेज प्रस्तुत करेगा :–

(1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(3) एकल स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर/मोबाईल नम्बर।

(4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

52. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लघंन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को कुलपति, विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा। जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह अधिकारी इस संविदा से सम्बद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

53. निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित है।

54. विवाद की स्थिति में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

55. इस अनुबन्ध का न्याय क्षैत्र "सीकर" होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

–: घोषणा :–

उपरोक्त समस्त दरें मैंने/हमने निविदा शर्तों का अच्छी तरह से अध्ययन कर ध्यानपूर्वक भरी हैं। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि रजिस्ट्रार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का निर्णय हमारे लिये सर्वोपरि होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर विभाग में पंजीकृत है तथा फर्म द्वारा वास्तव में उक्त व्यवसाय किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा वांछित कार्मिक उपलब्ध कराने में सक्षम है। केन्द्र सरकार/किसी राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायतशाषी संस्था/निगम आदि के द्वारा हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है।

दिनांक .....

निविदाकार के हस्ताक्षर
मय मोहर एवं डाक व पता

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

अनुलग्नक–"अ"
सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज
में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने
के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि,
बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में
लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह

एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के

डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली

लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला

उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश

और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

Annexure B : Declaration be the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder (On Non Judicial Stamp Paper worth Rs. 100 duly attested by the Notary Public)

In relation to may/our bid submitted to
procurement of ..... in response to

theirNoticeInvitingBidsNo. Dated
..... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparencey in Public procurement Act. 2012 , that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity:
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document:
3. 1/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial *officer,* not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of *any* criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into procurement 'contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act Rules and - the Bidding Document, which materially affects fair competitions;

Date :

Place ;

Signature of bidder

Name

Designation;
Address:

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

PDUSU/2020/ Signagture & seal of the firm

Annexure C : Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address the First Appellate Authority.....

The designation and address Of the Second Appellate Authority is .....

(1) Filing an appeal

If any bidder'or prospective bidder is aggrieved that any decision, action Or omission of the sales, Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules. or *the* Guidelines issued there under, he May file an appeal to First 'Appleant Authority, as specified in the Bidding Document Within a period of ten days form date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the' declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in sales proceedings; after depositing fee as per RTPP Act 2012 and RTPP Rules 2013.

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable;

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within days from the date of the appeal,

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of *the* appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder of prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by *the* First Appellate Authority, the Bidder or prospective 1. bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file, a second appeal to second Appellate 'Authority specified in the Bidding Document in *this* behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in pare (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following Matters, namely;-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provisions limiting participation of Bidders in Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality,

(5) Form of Appeal.

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form, alonowitkas may copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if *any,* affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority *or* Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall *be* non refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque from Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

PDUSU/2020/ Signagture & seal of the firm

(7) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue *notice* accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix *date* of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority, or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before *him i* and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies therof relating to the matter.

(c) After hearing the patties, perusal. or Inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority shall pass an order in writing and provide the Copy_Of order to the parties to appeal filed against.

(d) The order issued under sub-clause (c) above shall' also be placed on the Public Procurement Portal.

Appellant Signature

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

PDUSU/2020/ Signagture & seal of the firm

ANNEXURE D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a financial bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

I. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is contained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring Entity there Is and obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the Total shall be corrected ; and

iii. if there isa discrepancy between words is related to and arithmetic error, in which case the amount In figures shall prevail subject to (I) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

Applicant' Signature

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

PDUSU/2020/ Signagture & seal of the firm

Form No. 1

(see83)

Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency In Public Procurement Act, 2012

Appeal No ..... of .....

Before the . .....(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant.;
   (i) Name of the appellant;
   (ii) Residential Address :
2. Name and address of the respondent (s);

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the office /authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a secision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by Will& the appelian; is aggrieved
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address

   of the representative;

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal;
6. Grounds of appeal;

   .....

   .....

   ..... (supported by an affidavit)

7. .....

   .....

   .....

Place .....

Dated .....

Appellant' Signature

Registrar

Pandit Deendayal Upadhyay
Shekhawati University, Sikar

PDUSU/2020/ Signature & seal of the firm